UPMT010049132026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा
उपस्थित : विकास कुमार-प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2123/2026
राज बिसेन प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 380/2026, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **राज बिसेन** की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के पुत्र कुशाग्र पाण्डेय उम्र लगभग 22 वर्ष को आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण कर आत्महत्या के लिए विवश कर देना, जिससे कुशाग्र पाण्डेय द्वारा आत्महत्या कर लेना, आक्षेपित है।

3- जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4- आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/ अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसको इस केस में झूठा फँसाया गया है। आवेदक/ अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लगाया गया है, न खारिज हुआ है और न ही लंबित है। घटना की रिपोर्ट लगभग 4 महीने विलम्ब से न्यायालय के आदेश के माध्यम से दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त एल.एन.सी.टी. यूनिवर्सिटी में बी०बी०ए० का छात्र है तथा शिक्षा प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करता है। आवेदक/अभियुक्त को आत्महत्या से पूर्व अन्तिम समय भी मृतक के साथ नहीं देखा गया है। वादी कथानक मात्र सम्भावना के आधार पर है। आवेदक/अभियुक्त ने वादी के पुत्र को न कभी धमकाया, न पैसों की मांग की, न आत्महत्या करने हेतु उकसाया। उपरोक्त घटना में आवेदक/अभियुक्त का कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है, न ही कोई मोटिव है। कोई साक्ष्य आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मृतक कुशाग्र को आत्महत्या हेतु प्रेरित करने के सम्बन्ध में स्थापित नहीं है। आवेदक/ अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही वह पूर्व दोषसिद्ध है। पुलिस उसको गिरफ्तारी हेतु लगातार परेशान कर रही है अतः उसको दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान की जाये।

5- प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के पुत्र कुशाग्र पाण्डेय उम्र लगभग 22 वर्ष का आर्थिक व मानसिक शोषण कर उसे आत्महत्या के लिए विवश किया गया, जिससे विवश होकर कुशाग्र पाण्डेय द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। मामले में विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने हेतु लगातार फरार चल रहा है। आवेदक/अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

अभियुक्त पक्ष की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिव्यवस्था **Siddharam Satlingappa Mhetre Vs. State of Maharashtra and others (2011) 1 SCC 694** सन्दर्भित करते हुए उक्त विधिव्यवस्था के आधार पर तर्क किया गया है कि Personal liberty is a very precious fundamental right and it should be curtailed only when it become imperative according to the peculiar facts and circumstances of the case.

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.06.15 13:29:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त के प्रत्युत्तर में अभियोजन पक्ष की तरफ से तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है, मामले में विवेचना चल रही है, दौरान विवेचना अभी तक एकत्रित साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्त की अपराध में सक्रिय भागेदारी दर्शित है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

6– विधि व्यवस्था **अशोक कुमार शर्मा प्रति स्टेट आफ राजस्थान 1980 सी०आर० एल०जे० राजस्थान 54** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आवेदक प्रथमदृष्टया यह दर्शाने में विफल रहता है कि उसे मात्र लज्जित करने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसी दशा में विफल रहने पर उसकी अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामजद है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है।

जहां तक प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका का प्रश्न है, यह साक्ष्य की विषयवस्तु है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–15.06.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा, पी.ए.